



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226078  
CG-DL-E-24032021-226078

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1205]  
No. 1205]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/चैत्र 3, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/CHAITRA 3, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2021

**का.आ. 1303(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 मार्च, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 23 एवं धारा 45 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/3/2020-सीएल.1]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2021

**S.O. 1303(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2020 (29 of 2020), the Central Government hereby appoints the 24<sup>th</sup> March, 2021 as the date on which the provisions of section 23 and section 45 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1 /3 /2020-CL.1]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.